

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 15 (3) (177) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2022/80279 जयपुर, दिनांक: 21/03/23

**प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 86 की अनुपालना में पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के बच्चों हेतु प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि कर निम्नानुसार किये जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आयु वर्ग	वर्तमान में दी जा रही सहायता राशि	राशि में वृद्धि के बाद दी जाने वाली सहायता राशि
1	0 से 6 आयु वर्ग	500 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा	750 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा
2	6-18 आयु वर्ग	1000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा	1500 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा

उक्त स्वीकृति दिनांक 01.07.2023 से लागू होगी। यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162300431 दिनांक 08.03.2023 के अनुसरण में प्रसारित किये जा रहे हैं। अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15 (3) (177) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2022/80280-93 जयपुर, दिनांक : 21/03/23  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, .....
9. समस्त जिला कलेक्टर, .....
10. वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
11. समस्त जिला कोषालय/उप कोषालय, .....
12. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को पालनहार पोर्टल पर उक्त प्रावधान उपलब्ध करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
13. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, .....
14. समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, .....
15. आदेश पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Harimohan Meena

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
Date: 2023.03.20 17:45:24 IST  
Reason: Approved